संख्या : 40/2016/623/छप्पन-2016-91/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 13 मई , 2016

विषय :रिट याचिका संख्या- 6264 (एस0एस0)/2013 देव प्रताप पाण्डेय बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 मार्च, 2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में कृपया अपने पत्रांक 54/एटीआई/कोर्ट केस/2013, दिनांक 13 अप्रैल, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री देव प्रताप पाण्डेय, ऑटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड में दिनांक 02 मार्च, 1982 से 20 नवम्बर, 1990 तक सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत रहे तथा तदोपरान्त ऑटो ट्रेक्टर्स लि0 के बन्द हो जाने पर छंटनीशुदा कर्मचारी के रूप में एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ में दिनांक 02 नवम्बर, 1994 से 30 जून, 1999 तक सेवारत रहे तथा दिनांक 30 जून, 1999 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये।

ऑटो ट्रेक्टर्स लि0 में की गयी सेवाओं को राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवाओं के साथ जोड़ कर सेवानैवृत्तिक लाभ स्वीकृत किये जाने हेतु श्री पाण्डेय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या- 6284/2015 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 मार्च, 2014 में यह आदेश पारित किये गये कि श्री पाण्डेय द्वारा ऑटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड में की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये हिसाब में लेते हुए सेवानैवृत्तिक लाभ स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाये तथा पेंशन देय होने की तिथि से 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान भी किया जाय।

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा विशेष अपील संख्या- 417/2014 एवं रिव्यू याचिका संख्या- 402/2015 योजित की गयी जिन्हें मा0 उच्च न्यायालय के आदेश क्रमश: दिनांक 22.7.2015 एवं 22.9.2015 द्वारा खारिज कर दिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया। तदोपरान्त राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 22538 - 22539 योजित की गयी जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया।

3- उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत रिट याचिका संख्या- 6264/2013 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.3.2014 वर्तमान में प्रभावी एवं अन्तिम है, अत: उक्त का अनुपालन किया जाना बाध्यकारी है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए श्री देव प्रताप पाण्डेय द्वारा ऑटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड में दिनांक 02 मार्च, 1982 से 20 नवम्बर, 1990 तक की गयी सेवाओं को राज्य सरकार के अधीन की गयी सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाभों के परियोजनार्थ जोड़ते हुए सेवानैवृत्तिक लाभ स्वीकृत किये जाने के आदेश राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

4- चूँकि यह कार्यवाही विधिक बाध्यता के अधीन की जा रही है। अत: इसे किसी अन्य प्रकरण के लिए दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : सा-3-418/दस-2016, दिनांक 04 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 40/2016/623(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
6- सम्बन्धित कार्मिक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in